

14/12/20

वकील प्रार्थी के मूलवाद में प्रस्तुत आविरोध पत्र पर पत्रावली सीजे से तलब भी गठ प्रार्थी/वादी मध्य आन्वयवता उपर) वादी न आज दिनांक को इस प्रकरण से संबंधित मूलवाद प्रसं. 44/2020 वाद विद्वा कर स्वारिज करा लिया है। इसलिये अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही होफे नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा- 212 राबनार आन्वयव इसी स्टेज पर स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल सुभा (वेकर नम्बर स कम है)

पुस्तक
3

उपखण्ड अधिकारी
विन्वाहेड़ा (राज.)

